तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	21/01/25 पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य स्थगन/पी.O. सा० सत्य कार्य में व्यस्त होने से जनरल तारीख पेशी दी गई गत आदेश की पालना में दिनांक 22/01/25 को पेश हो। हस्ताक्षर रीडर
22/01/25	पत्रावली पेश हुई वकील उभयपक्ष उप०। उभयपक्ष वकील बहस पर मनन करने एवं प्रार्थनापत्र आदेश 07 नियम 13 एवं धारा 151 जा.दी. एवं जवाब प्रा.पत्र, प्रारंभिक आपत्ति एवं प्रार्थना पत्र में संलग्न दस्तावेजों व पत्रावली के अवलोकन के आधार पर प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रा०पत्र आदेश 07 नियम 13 एवं धारा 151 जा.दी. पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। प्रकरण कैजल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। [signature] 22/1/25 उप [illegible] अधिकारी बांदीकुई (दौसा)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.एम.) बांदीकुई

प्रकरण संख्या 29/2023
प्रकरण दायर दिनांक 09.06.2023
प्रकरण निर्णय दिनांक 22.01.2025

उनवान

राधा वगै. बनाम जीत्या वगै

" प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 13 एवं धारा 151 जा.दी. "

–:: निर्णय ::–

प्रार्थिया द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 13 एवं धारा 151 जा.दी. का इस आशय । पेश किया है कि वादीगण द्वारा एक दावा अधिघोषणा खातेदारी तकास्मा आराजी दुरूस्ती रेवन्यू ।कॉर्ड एवं स्थायी निषेधाज्ञा बाबत दिनांक 28.10.2014 को माननीय न्यायालय हाजा के समक्ष पेश किया जिसमें मिन प्रार्थीया को प्रतिवादी संख्या 44 के रूप में पक्षकार बनाया गया था। मिन प्रार्थीया ी उपरोक्त प्रकरण में कभी भी तामिल नहीं करवायी गई तथा मिन प्रार्थीया को उपरोक्त प्रकरण ाबत कभी कोई नोटिस भी नहीं दिया गया। उसके बावजूद भी प्रार्थीया को बिना सुनवाई का वसर दिये ही एकपक्षीय रूप से दिनांक 26.05.2022 को दावा का निर्णय कर दावा डिक्री कर दिया गया है। वाद पत्र के पैरा नं. 10 में रकबा 33.25 हैक्टेयर की बजाय 33.35 हैक्टेयर कायमी ाद गैर मुमकिन आराजीयात जैसे गांव की पुरानी आबादी बाडा दक्षिण में स्थित डोल, गै.मु. झेरा । रास्ता खातेदारान हलमशहुर शामलाती चाह, गौरवाली से लावा खातीयाला एक फलंग नजरी क्शा में दर्शित हरूफ क.ख.ग.घ.ण. रकबा 10 ऐयर एवं चाह खातीयाला मय गूणी, ढेहरी वाला ई कोटी की चाह व रास्ते मौजूदशुदा चौडाई 15 फिट तक का रकबा तक का शामलाती पर्चे में खना चाहते है। उक्त रीलिफ प्रार्थीया की आबादी भूमि से संबंधित है। जिसमें प्रार्थीया के हित व अधिकार नीहित है। इस कारण प्रार्थीया को उपरोक्त प्रकरण में सुनवाई का अवसर दिया जाना कानूनन न्यायोचित है। माननीय न्यायालय हाजा की एकपक्षीय डिक्री दिनांक 06.05.2022 नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। उपरोक्त निर्णय व डिक्री की प्रार्थीया को पूर्व में कभी कोई जानकारी नहीं थी। दिनांक 06.06.2023 को पटवारी हल्का द्वारा प्रार्थीया की आबादी भूमि में खातेदारी भूमि के नम्बर की तरमीम न्यायालय के निर्णय के अनुसार करने की कही तब प्रार्थीया को उक्त निर्णय की पहली बार जानकारी लगी। निर्णय के पैरा नं. 06 में न्यायालय हाजा द्वारा हाल खसरा नं. 2247 की उत्तरी व पश्चिमी सीमा में शीट में दुरूस्त किये जाने का आदेश कमिश्नर रिपोर्ट दिनांक 12.03.2018 के अनुसार तहसीलदार बसवा को दिया गया है। महोदय खसरा नं. 2247 की उत्तरी व पश्चिमी सीमा में प्रार्थीया की आबादी भूमि खसरा नं. 2299 स्थित है। न्यायालय के निर्णय से प्रार्थीया की आबादी भूमि का नक्शा परिवर्तित होगा ऐसे में एकपक्षीय रूप से किये गये निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.05.2022 को निरस्त किया जाकर प्रार्थीया को अपना पक्ष रखने का अवसर उपलब्ध कराना कानूनन जरूरी है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर निर्णय डिक्री दिनांक 26.05.2022 मु. नं.200/2014 उनवान राधा वगै. जीता वगै. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई को निरस्त किया जाकर प्रार्थीया को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जावे।

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्राथीगण जरिये रजिस्टर्ड ए.डी नोटिस/सम्मन के विधिवत की गयी। प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण वकील द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 जा.दी. पर प्रारंभिक आपत्ति पेश की कि उनवानी प्रकरण में वादी प्रतिवादीगण को सुना जाकर निर्णय विधि सम्मत पारित किया गया था। निर्णित वाद पत्र उनवानी राधा बनाम जीता में प्रतिवादी नं. 44 को पक्षकार बनाया गया था परंतु वादीगण की ओर से पेश प्रार्थना पत्र दिनांक 14.09.2015 की सुनवाई के बाद दिनांक 22.02.2016 को प्रतिवादी नं. 44 ग्राम पंचायत को पक्षकार हटाये जाने की आज्ञा जारी फरमाई गई थी। प्रतिवादी नं. 44 को वाद पत्र में पक्षकार ही नहीं रखा गया। दावे में सीट की दुरूस्ती साबिक से हाल नक्शे में चाही गयी थी, वह भी खसरा नं. 2247 हाल को साबिक व साबिकोत्तर सीट की बजाय 5–6 मीटर बढाकर पश्चिम की ओर पट्टा देने के विरूद्ध दुरूस्ती का अनुतोष चाहा गया था, उसके लिये राज्य सरकार जरिये तहसीलदार को पक्षकार प्रतिवादी बनाकर सम्पूर्ण सुनवाई करने के बाद निर्णय विधिवत फरमाया गया था। प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 जा.दी. जब ही लागू होगा। जब प्रार्थी प्रतिवादी रहा हो एकपक्षीय डिक्री पारित करवाई गयी हो। ग्राम पंचायत अरनिया द्वारा बिना दावे में पक्षकारान व आदेशात को देखे बिना दिनांक 09.06.2023 को विधि विरूद्ध आज्ञा जारी फरमाई गई है। जो प्रारंभतया ही निरस्त किये जाने योग्य है। आदेश 9 नियम 13 जाब्ता दीवानी तब ही लागू होता है जबकि कोई पक्षकार कोई प्रतिवादी दर्जशुदा हो व उसकी विधि सम्मत तामील सुनवाई नहीं होकर एक तरफा में कोई निर्णय डिक्री पारित करवाया गया है। इस दावे में तो ग्राम पंचायत को पार्टी न्यायालय आदेश से हटाई जा चुकी है। अतः प्रार्थना पत्र प्रारंभिक आपत्ति सुनवाई हेतु पेश है। प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र आपत्ति कानूनी स्वीकार फरमाई जाकर प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 जा.दी. मय आदेश दिनांक 09.06.2023 खारिज फरमाया जावें। प्रार्थना पत्र प्रार्थी चलने योग्य नहीं है क्योकि प्रार्थी ग्राम पंचायत अरनियां को न्यायालय आज्ञा से वादीगण द्वारा पक्षकार हटाये जाने का प्रार्थना पत्र दिनांक 14.09.2015 को पेशशुदा पर बाद सुनवायी निर्णय दिनांक 22.10.2016 को पक्षकार प्रतिवादी हटाया गया था ग्राम पंचायत अरनियां द्वारा उस समय कोई उज्र ऐतराज किसी कदर का पेश नहीं किया गया ग्राम पंचायत अरनियां दावे में पक्षकार ही नहीं रहा तो उसके विरूद्ध सुनवायी ही नही चाही, ना ही कोई अनुतोष ग्राम पंचायत अरनियां के विरूद्ध वादीगण के द्वारा चाहा गया। इस तथ्य की जानकारी होने पर भी प्रार्थना पत्र विधि विरूद्ध राजनैतिक अदावट व बहकावे व दबाबवश प्रार्थना पत्र पेश कर दी गयी है उसका एकमात्र उददेश्य यह है कि येन केन प्रकारेण निर्णय डिक्री की पालना को स्टे करवाायया जावे। इस प्रकम में ओमप्रकाश, लक्ष्मण, सीताराम, राजू, हरिसिंह, रामरूप आदि लोगो द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत के माध्यम से यह प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 जा.दी. पेश करवाया जाकर स्थगन करवाया गया है जो मिसल पर आये तथ्यों कानून के विपरीत होने पर काबिले खारिज है।

अप्रार्थी की ओर लिखित बहस प्रस्तुत की कि प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थिया को सुने बिना एकपक्षीय निर्णय दिनांक 26.05.2022 को जारी फरमा दिया गया। खसरा नं. 2247 की उत्तरी अशुद्ध कायमी शीट हाल सैटलमेन्ट को घटाकर पश्चिमी सीमा में बढोतरी साबिकोत्तर शीट के मुताबिक चाही गयी है। जिससे आबादी की भूमि खसरा नंबर 2299 नक्शा परिवर्तित होगा। एकपक्षीय किये गये निर्णय व डिक्री दिनांक 26.05.2022 मुकदमा नंबर 200/2014 दिनांक 26.05.2022 को खारिज फरमाया जाकर प्रार्थीया को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जावें। अप्रार्थी पक्ष द्वारा जबाब पेश करते हुए प्रारंभिक आपत्ति पेश की है। वादी अप्रार्थी पक्ष द्वारा प्रतिवादी नंबर 44 ग्राम पंचायत अरनियां को पक्षकार हटाने का प्रार्थना पत्र दिनांक 14.09.2015 को पेश किया था। न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाते हुए दिनांक 22.10.2016 को प्रार्थी प्रतिवादी संख्या 44 को पक्षकार हटा दिया गया। वादी द्वारा अप्रार्थीयान अपने खसरा नंबर 2247 की शीट की दुरूस्ती साबिक शीट के मुताबिक चाही गई वह भी भू स्वामी के प्रतिनिधि तहसीलदार भूधारक खसरा नंबर 2299 का पक्षकार बनाकर व जांच रेवेन्यु रिकॉर्ड हाल साबिक व मौके की स्थिति जरिये आज्ञा बामौजूदगी पटवारी हल्का, गिरदावर हल्का दिनांक 12.03.2018

Scanned with OKEN Scanner

की कमिश्नर रिपोर्ट के आधार पर दावा वादीगण डिकी फरमाया गया है। ग्राम पंचायत को दावा डिकी में कोई ऐतराज है तो उसको अपील में जाना जाना चाहिए। ग्राम पंचायत जब पक्षकार ही नहीं है तो एकपक्षीय निर्णय कैसे माना जावेगा। प्रार्थीया पक्षकार प्रतिवादी नहीं है ना ही कोई हक अधिकारात है। वादी पक्ष द्वारा उसके विरूद्ध कोई अनुतोष भी नहीं चाहा गया है। भू स्वामी के प्रतिनिधि तहसीलदार आवश्यक पक्षकार को पक्षकार बनाकर दावा चलाया गया है। शीट साबिका के मुताबिक दुरूस्ती हाल शीट वादीगण की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 2247 में चाही गयी है।

हमने प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष वकील बहस सुनी गयी। प्रार्थीगण वकील ने बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का दोहरान करते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया तथा न्यायालय हाजा के निर्णय डिकी दिनांक 26.05.20222 मुकदमा नंबर 200/2014 उनवान राधा वगै. बनाम जीता वगै. को निरस्त किया जाकर प्रार्थीया को अपना पक्ष रखने का अवसर दिये जाने बाबत निवेदन किया। तथा प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण वकील द्वारा बहस में अवगत करवाया कि प्रार्थना पत्र में अंकित प्रतिवादी सं. 44 ग्राम पंचायत अरनिया उक्त उनवानी प्रकरण संख्या 200/2014 उनवान राधा वगै. बनाम जीता वगै. में पक्षकार ही नहीं है। उक्त प्रकरण में पूर्व मे ग्राम पंचायत अरनियां को पक्षकार बनाया गया था परंतु प्रकरण में पक्षकार द्वारा प्रतिवादी नंबर 44 ग्राम पंचायत अरनियां को पक्षकार हटाने का प्रार्थना पत्र दिनांक 14.09.2015 पेश होने पर न्यायालय हाजा की आदेशिका दिनांक 22.02.2016 द्वारा प्रतिवादी संख्या 44 का नाम हजफ करते हुये पक्षकार हटाया गया था। आदेश 9 नियम 13 जाब्ता दीवानी तब ही लागू होता है जबकि कोई पक्षकार कोई प्रतिवादी दर्जशुदा हो व उसकी विधि सम्मत तामील सुनवाई नहीं होकर एक तरफा में कोई निर्णय डिकी पारित करवाया गया है। उक्त दावे में ग्राम पंचायत अरनियां को न्यायालय आदेशिका दिनांक 22.02.216 के द्वारा नाम हजफ करते हुये पक्षकार हटाया गया है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 जा. दी. लागू नहीं होता है। उपरोक्त विवेचन से प्रार्थीया प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उभयपक्ष वकील बहस पर मनन करने एवं प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन के आधार पर प्रार्थीया प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 जा. दी. पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है । प्रकरण फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में आज दिनांक 22.01.2025 को सुनाया गया।

22/1/25

(रामसिंह राजावत)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)